दिनांक 29 जून 2018 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन के बैठक कक्ष, शैक्षणिक खंड, सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 29 जून 2019 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन के बैठक कक्ष में कार्यकारिणी परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग कुलपति	-	अध्यक्ष
2. श्री जी.पी.उपाध्याय अतिरिक्त मुख्य सचिव मानव संसाधन विकास विभाग सिक्किम सरकार	-	सदस्य
3. श्री कमल काफ्ले, सचिव (से.नि), सिक्किम सरकार, पाक्योंग, सिक्किम	-	सदस्य
4. डॉ. श्रीराधा दता विशिष्ट फैलो, एशियन कॉन्फ़्लुएन्स शिलांग, मेघालय	-	सदस्य
5. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
6. प्रो. वी.रमा देवी, डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	-	सदस्य
7. डॉ. नवल के. पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापेठ	-	सदस्य
8. डॉ. के.आर.राममोहन, डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
9. डॉ. एस. मणिवन्णन छात्र कल्याण डीन	-	सदस्य
10. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान, अध्यक्ष, नेपाली विभाग	-	सदस्य
11. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय सह प्राध्यापक, भौतिकी विभाग	-	सदस्य
12. श्री देवाशीष पाल वित्त अधिकारी	-	विशेष आमंत्रित
13. श्री टी.के.कौल कुलसचिव	-	सचिव

प्रो. आद्य प्रसाद पांडे, प्रो. टी.आर. पौड्याल, प्रो। घनश्याम नेपाल और प्रो. अमरेश दुबे उनके पूर्व-निर्धारित कार्य के लिए बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें और अनुपस्थिति के लिए अवकाश की छुट्टी मांगी।

सुश्री ग्रेस डी. चेंकापा, सहायक कुलसचिव और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद को सहायता देने के लिए उपस्थित थे।

सबसे पहले अध्यक्ष ने 31वीं बैठक में परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होने परिषद को सूचित किया कि प्रो. आद्य प्रसाद पांडे, कुलपति, मणिपुर विश्वविद्यालय यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद के नए सदस्य हैम। उन्हें अनुपस्थिति में परिषद के सदस्य के रूप में स्वागत किया गया था।

अध्यक्ष ने यह भी बताया कि प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान दिनांक 30 जून 2018 को अधिवर्षता प्राप्त करेंगे और प्रो. वी. रमा देवी 6 जुलाई 2018 (एएन) को विश्वविद्यालय से जाने वाली हैं। ये दोनों परिषद की सदस्यता समाप्त करेंगे। अध्यक्ष ने परिषद में अपने कार्यकाल के दौरान प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान और प्रो. वी. रमा देवी द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के बारे में बताया।

इसके बाद निम्नानुसार विचारणीय विषयों पर चर्चा की गयी।

खंड-1
कार्यवृत्त की संपुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

ईसी 31.1.1: ***दिनांक 16 अप्रैल 2018 को आयोजित कार्यकरिणी परिषद की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि***

दिनांक 16 अप्रैल 2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को दिनांक 25 अप्रैल 2018 को वितरित किया गया था। परिषद के सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 16 अप्रैल 2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 25 अप्रैल 2018 को वितरित किए जाने के अनुसार पुष्टि की जाती है।

ईसी 31.1.2: ***दिनांक 16 अप्रैल 2018 को आयोजित कार्यकरिणी परिषद की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट***

सचिव ने कार्यकारिणी परिषद की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी कार्रवाई को नोट किया।

खंड - 2
सूचनात्मक विषय
शून्य

खंड - 3

अनुसमर्थित विषय

ईसी 31.3.1: सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ (सूसा) के लोगो

परिषद को सूचित किया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ (सूसा) के लोगो और आदर्श वाक्य के अनुमोदन के मामले को 9 जून 2017 को आयोजित 27 वीं बैठक में कार्यकारी परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

परिषद ने आदर्श वाक्य यानी "दृष्टि, एकता, सफलता" को मंजूरी दी। लोगो के लिए परिषद ने सुझाव दिया कि सूसा एक प्रतियोगिता के माध्यम से अपने लोगो को फिर से करें। दिनांक 18 अप्रैल 2017 को एक पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच लोगो डिजाइन को आमंत्रित करने और एक खुली प्रतियोगिता आयोजित करने और चयन पैनल द्वारा सर्वश्रेष्ठ लोगो का चयन करने के सुझाव दिया गया था। उसके बाद चयनित लोगो को परिषद के विचारार्थ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाना है।

सूसा के अध्यक्ष ने नांक 5 फरवरी 2018 के पत्र द्वारा सूचित किया था कि तदर्थ सूसा निकाय ने आम सभा (जीबीएम) आयोजित की थी और लोगो के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसे छात्रों के मतदान द्वारा भी जांच की गयी थी। श्री योगेश अधिकारी और श्री अभिषेक मुखिया द्वारा प्रस्तुत किए गए विस्तृत विवरण के साथ लोगो का लोगो प्रतियोगिता के विजेता निर्धारित करने का फैसला लिया गया था। सूसा के अध्यक्ष और महासचिव ने कुलपति और कुलसचिव से मुलाकात की और 19 मार्च से 30 अप्रैल 2018 तक रुक-रुक कर आयोजित होने वाले अपने वार्षिक सूसा उत्सव 2018 में लोगो के उपयोग के महत्व के बारे में अवगत कराया। तत्पश्चात कुलपति ने सूसा के लोगो को स्वीकार किया और अनुमोदित किया जिसे अधिसूचना 18/2018 दिनांक 15 मार्च 2018 को अधिसूचित किया गया था।

सूसा के लोगो को अनुमोदित करते हुए कुलपति की कार्रवाई को परिषद द्वारा अनुसमर्थित किया गया।

ईसी 31.3.2: अनुबंध आधारित प्रोफेसर की नियुक्ति

परिषद ने प्रोफेसर सुभाष चंद्र भट्टाचार्य, प्रोफेसर, रसायन विज्ञान, भूतल विज्ञान केंद्र, रसायन विज्ञान विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय को अनुबंध आधारित प्रोफेसर के रूप में 5 अप्रैल 2018 से छह महीने की अवधि के लिए अनुबंध आधारित प्रोफेसर के लिए लागू नियम एवं शर्तों पर नियुक्त करने की कार्रवाई की पुष्टि की।

सूचीबद्ध विषय

ईसी 31.3.3: हिमालयी विश्वविद्यालय कंसोर्टियम की सदस्यता का नवीकरण

परिषद को सूचित किया गया कि हिमालयन यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम (एचयूसी) की स्थापना 2007 में हिंदू कुश हिमालयन (एचकेएच) क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और इस क्षेत्र के भीतर और बाहर अन्य संगठनों और संस्थानों के बीच एक गतिशील पहाड़ी ज्ञान के साझेदारी के निर्माण के लक्ष्य के साथ की गई थी।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी) एचयूसी के सचिवालय की मेजबानी कर रहा है और इसकी गतिविधियों की सुविधा प्रदान कर रहा है।

सिक्किम विश्वविद्यालय ने तब से हिमालयन यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है और इसे 30.04.2018 को आगे के तीन वर्षों के लिए नवीनीकृत किया है।

कार्यकारिणी परिषद ने हिमालयन यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम को सिक्किम विश्वविद्यालय की पूर्ण सदस्यता को नवीकृत करने के लिए कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

खंड -4
विचारार्थ और अनुमोदनार्थ विषय

ईसी 31.4.1: प्रोफेसरों (अनुबंध पर) की अनुबंधों की वृद्धि

संशोधित एजेंडा नोट परिचालित किया गया था। परिषद को सूचित किया गया था कि निम्नलिखित तीन प्रोफेसरों, जिनको रु.1,00,000/- के मासिक पारितोषिक पर अनुबंध पर नियुक्त किया गया है, के अनुबंध नीचे प्रत्येक सामने उल्लेखित तिथि को समाप्त हो रहे हैं :

क्र.सं.	नाम	विभाग	अनुबंध की तिथि
1	प्रो. विनोद चंद्र तिवारी	भूविज्ञान	30.06.2018
2	प्रो. पी.के.शर्मा	गणित	30.06.2018
3	प्रो. एम.के.घोस	कंप्यूटर अनुप्रयोग	30.07.2018

9 जून 2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 27वीं बैठक में परिषद के निर्णय के अनुसार स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट और छात्रों की प्रतिक्रिया सभी उपरोक्त मामलों में प्राप्त की गई है।

परिषद ने मौजूदा नियमों और शर्तों पर छह महीने की एक और अवधि के लिए अनुबंध पर उपर्युक्त तीन प्रोफेसरों के अनुबंध के विस्तार को मंजूरी दी।

ईसी 31.4.2: शिक्षण कर्मचारियों के अनुबंधों की वृद्धि

परिषद को सूचित किया गया कि भूटिया, लिम्बु और लेप्चा विभागों में निम्नलिखित आठ शिक्षण कर्मचारियों का कार्यकाल 31 जुलाई 2018 को समाप्त हो रहा है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री भाईचुंग छिरिंग भूटिया	सह प्राध्यापक	भूटिया
2	डॉ. हिस्से वांगचुक भूटिया	सहायक प्राध्यापक	
3	श्री बल बहादुर सुब्बा	सह प्राध्यापक	लिम्बू
4	सुश्री कौशिला सुब्बा	सहायक प्राध्यापक	
5	श्री तेज राज लिम्बू	सहायक प्राध्यापक	
6	श्री नोरबू छिरिंग लेप्चा	सह प्राध्यापक	लेप्चा
7	श्री काच्यो लेप्चा	सहायक प्राध्यापक	
8	सुश्री डुकमित लेप्चा	सहायक प्राध्यापक	

ऐसे विभागों में नियमित संकाय सदस्य नियुक्त किए जाने तक विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद भूटिया, लिंबु और लेप्चा विभागों के उपर्युक्त आठ संकाय सदस्यों की संविदा नियुक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए यानी मौजूदा नियमों और शर्तों पर 31 जुलाई 2019 तक के लिए बढ़ा दिया।

ईसी 31.4.3: प्रो. वी.रमा देवी, प्रबंधन विभाग का इस्तीफा

परिषद को सूचित किया गया कि प्रबंधन विभाग के स्थायी संकाय प्रो. वी. रमा देवी ने प्रबंधन विद्यापीठ के विभाग, एनआईटी, वारंगल में सह प्राध्यापक के पद में कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 6 जुलाई 2018 को कार्यमुक्त करने के निवेदन सहित दिनांक 9 अप्रैल 2018 को इस्तीफा दे दिया।

अध्यादेश ओबी-2 की धारा 10 के संदर्भ में प्रो. वी. रमा देवी ने तीन महीने का नोटिस दिया है। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद 6 जुलाई 2018 (पूर्वाह्न) से प्रो. वी. रमा देवी के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया।

ईसी 31.4.4: शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि सम्पूर्ण

सुश्री सोना राय, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग ने 15 सितंबर 2017 को अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है। उनकी परिवीक्षा की समीक्षा संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई है और कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद सुश्री सोना राय, सहायक प्राध्यापक की परिवीक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया और दिनांक 16 सितंबर 2017 से विश्वविद्यालय की सेवाओं में उनकी पुष्टि की।

ईसी 31.4.5: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और सिक्किम विश्वविद्यालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन

सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 के नियम 229 (xi) के अनुसार वैधानिक/स्वायत्त निकायों को प्रदर्शन मापदंडों, सहकामी निवेश की आवश्यकताओं सहित कार्य के विस्तृत कार्यसूची और आउटपुट में गुणात्मक सुधार के संदर्भ में परिणामों के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में एमएचआरडी से दिनांक 21 मई 2018 का पत्र प्राप्य हुआ।

सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित निर्दिष्ट प्रदर्शन मापदण्डों के साथ यूजीसी और एमएचआरडी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश करना होगा। तदनुसार, विश्वविद्यालय को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निधि जारी करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना है।

परिषद ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया और समझौता ज्ञापन पर अमल के लिए शामिल तात्कालिकता को देखते हुए परिषद ने कुलपति को यूजीसी और एमएचआरडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और मामले को अनुसमर्थन के लिए अगली बैठक में रखने के लिए अधिकृत किया।

ईसी 31.4.6: सीएएस के तहत सहायक प्राध्यापकों को चरण 1 से चरण 2 में पदोन्नति के लिए स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की कार्यवाही

परिषद ने नोट किया कि निम्नलिखित सहायक प्रोफेसरों ने स्टेज -2 में नियुक्ति के लिए एपीआई सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित मानदंडों और एपीआई स्कोर को पूरा किया है। स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर परिषद ने निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को प्रत्येक के सामने उल्लेखित पात्रता की तिथि से चरण 1 से चरण 2 में नियुक्ति को मंजूरी दी:

क्र.सं.	नाम	कार्यग्रहण की तिथि	पात्रता की तिथि
1	डॉ. अंजू वर्मा	28.04.2014	28.04.2018
2	डॉ. ई. ईश्वरजीत सिंह	01.03.2012	13.06.2017
3	डॉ. अमित कुमार गुप्ता	30.04.2014	30.04.2018
4	डॉ. संतोष कुमार राई	29.03.2012	29.03.2016

ईसी 31.4.7: डॉ. मदन कुमार यादव को अनुबंध पर सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति

परिषद को सूचित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में डॉ. टेबोर्लांग टी. खर्सिटीऊ के लिएन के लिए रिक्त हुए पद पर डॉ. मदन कुमार यादव को सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉ. मदन कुमार यादव की नियुक्ति प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से कहा कि उनका कार्यकाल डॉ. टेबोर्लांग टी. खर्सिटीऊ को दी गई लिएन अवधि के लिए है और अगर लिएन रिक्ति नियमित रिक्ति में परिवर्तित हो जाती है, तो वे नियमितीकरण के हकदार नहीं होंगे। डॉ. मदन कुमार यादव ने 18 सितम्बर 2017 को विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण किया। डॉ. टेबोर्लांग टी. खर्सिटीऊ,जो दिनांक 31.01.2016 से लिएन पर थे, ने दिनांक 4 अक्टूबर 2017 के पत्र के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपनी पुष्टि होने के कारण 'लिएन' समाप्त करने के लिए निवेदन किया था। 13 दिसंबर 2017 को आयोजित 29 वीं बैठक में कार्यकारी परिषद द्वारा पूर्वव्यापी रूप से उनकी लिएन को समाप्त करने के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार किया गया था।

डॉ. टेबोर्लांग टी. खर्सिटीऊ की लिएन रिक्ति को लिएन समाप्त होने की तिथि से ही समाप्त हो गई, जिसे परिषद ने 13 दिसंबर 2017 को स्वीकार कर लिया था। चूंकि डॉ. मदन कुमार यादव ने 18 सितंबर 2017 को विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण किया था और 13 दिसंबर 2017 को लिएन रिक्ति समाप्त हो गयी थी, अत: डॉ. मदन कुमार यादव को 30 जून 2018 तक अथवा नियमित आधार पर पदों में भर्ती की जाने तक, जो भी पहले हो, अनुबंध पर सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त करने के संबंध में मामले को प्रस्तुत गया था। उक्त बैठक में परिषद द्वारा इस पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। अनुबंध आधारित नियुक्ति के लिए यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित आधार पर डॉ. मदन कुमार यादव का पारिश्रमिक 16 अप्रैल 2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 30 वीं बैठक में परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

परिषद को आगे सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय को विज्ञापन प्रकाशित करने और रिक्ति को भरने में कुछ और समय लगेगा। डॉ. मदन कुमार यादव की अनुबंध आधारित नियुक्ति के विषय को विषम सेमेस्टर 2018 के लिए अनुबंध पर नियुक्ति के लिए इस शर्त के अधीन प्रस्तुत किया गया था कि वह अनुबंध आधारित नियुक्ति के नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है।

परिषद ने पूरी तरह से विचार-विमर्श के बाद कार्यकारी परिषद द्वारा अपनी विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों का समर्थन किया, जैसा कि ऊपर कहा गया है। हालांकि, डॉ. मदन कुमार यादव की अनुबंध आधारित नियुक्ति के लिए परिषद ने विषम सेमेस्टर 2018 के लिए अनुबंध पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार करने से पहले विषम सेमेस्टर 2018 के लिए पहले विभाग की आवश्यकता के संबंध में जानकारी लेने की सलाह दी।

ईसी 31.4.8: सीएएस के तहत चरण-4 (सह प्राध्यापक) से चरण-5 में पदोन्नति के लिए नीति

इस विषय पर चर्चा करने से पहले अध्यक्ष ने डॉ. के।. आर. राम मोहन, डॉ. एस. मणिवन्नन और डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, वे सभी सह प्राध्यापक हैं, जो बैठक से दूर रहेंगे।

परिषद को सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय ने सीएएस के तहत चरण-4 (सह प्राध्यापक) से चरण-2 (प्रोफेसर) में पदोन्नति के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं में से एक के रूप में पीएचडी को सफलतापूर्वक निर्देशित करने की नीति अपनाई है। हालांकि इस नीति को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन यह सभी संभावित उम्मीदवारों को अनौपचारिक रूप से ज्ञात कर दिया गया था। जैसा कि 2017 में चरण -4 से चरण -5 तक के सभी मामलों पर विचार किया गया था और जिन्होने यूजीसी के नियमन में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद सफलतापूर्वक पीएचडी का निदर्शन किया है, उन्हें चरण-5 (प्रोफेसर) में नियुक्त किया गया था। डॉ. वी. कृष्णा अनंत, सह प्राध्यापक के मामले को स्टेज -5 (प्रोफेसर) में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने पीएचडी को सफलतापूर्वक निर्देशित करने के मानदंडों को पूरा नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने सिक्किम के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने हालांकि कहा कि विश्वविद्यालय के पास अतिरिक्त मानदंड निर्धारित करने की शक्तियां हैं, फिर भी इसने विश्वविद्यालय के खिलाफ फैसला सुनाया क्योंकि पीएचडी को सफलतापूर्वक निर्देशित करने की नीति को अधिसूचित नहीं किया गया था। हालांकि, विश्वविद्यालय ने विचार के लिए एक समीक्षा याचिका दायर की है मामले को डिवीजन बेंच ने स्वीकार कर लिया है।

सीएएस के तहत चरण -4 से चरण -5 तक पदोन्नति के लिए सफलतापूर्वक पीएचडी का मार्गदर्शन करने की नीति को रखा गया था क्योंकि यह यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सह प्राध्यापक स्तर पर सीधी भर्ती के लिए एक अनिवार्य मानदंड है। लेकिन शुरू से ही सह प्राध्यापक की सीधी भर्ती के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशानिर्देश का पालन नहीं किया गया था। कमी की भरपाई करने के लिए चरण -4 से चरण -5 तक सीएएस के लिए उपरोक्त नीति को अपनाया गया था।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद सीएएस के तहत चरण -4 (एसोसिएट प्रोफेसर) से चरण -5 (प्रोफेसर) में पदोन्नति के लिए मुख्य आवश्यकताओं में से एक के रूप में पीएचडी (सम्मानित) को सफलतापूर्वक निर्देशित करने की विश्वविद्यालय की नीति औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी।

प्रस्ताव को अपनाने के बाद डॉ के आर राम मोहन, डॉ एस मणिवन्नन और डॉ सुबीर मुखोपाध्याय को बैठक में फिर से शामिल होने के लिए कहा गया।

ईसी 31.4.9: डॉ. विजय कुमार थंगेल्लापालि, सह प्राध्यापक और अन्य के विरुद्ध PE0102016A0003 में सीबीआई मामला

परिषद को सूचित किया गया कि 1 दिसंबर 2017 को आयोजित परिषद की 29वीं बैठक में स्क्रीनिंग समिति द्वारा डॉ. विजय कुमार थंगेल्लापालि और अन्यों को चयनित करने के लिए की गई कथित

अनियमितताओं को देखने तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ, अगर कोई हो, भविष्य में ली जानेवाली कार्रवाई पर निर्णय लेने में परिषद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुलपति को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, कुलपति ने जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रजत आचार्य और हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी. राजा शेखर के साथ एक जांच समिति का गठन किया, जिसे 5 फरवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। समिति ने दिनांक 31 मार्च 2018 को आयोजित अपनी बैठक में सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद उल्लेख किया गया था कि वर्ग III के तहत एपीआई स्कोर को छोड़कर विज्ञापन के अनुसार सह प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम पात्रता को डॉ. विजय कुमार थंगेल्लापालि द्वारा पूरी की गई थी। सत्यापन के बाद समिति ने पाया कि डॉ. थंगेल्लापालि ने स्वयं को सह प्राध्यापक के पद के लिए अपने आवेदन में श्रेणी III के तहत 245.5 का एपीआई स्कोर का दावा किया था, जबकि सिक्किम विश्वविद्यालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने श्रेणी III में डॉ. थंगेल्लापालि के स्कोर को 385.5 के रूप में गणना की थी जो कि वास्तव में श्रेणी I, II और III के तहत प्राप्त कुल एपीआई स्कोर था। जांच समिति ने देखा कि पुनः गणना में दो गलतियाँ थीं:

i. सम्मेलन की कार्यवाही में लेखों और सम्मेलन में प्रस्तुत पेपरों की दुबारा गिनती;

ii. उक्त पद के लिए आवेदन के समय उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के बिना पुस्तक के अध्यायों और आगामी पत्रिका लेख पर उम्मीदवार को अंक प्रदान करना।

जांच समिति ने डॉ. थंगेल्लापालि के मूल आवेदन का मूल्यांकन किया और आवेदन के समय संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर और यूजीसी विनियमन 2010 के समग्र दिशानिर्देश के आधार पर शुद्ध रूप से श्रेणी III के अंतर्गत 227.5 के एपीआई स्कोर तक पहुंचे।

समिति ने डॉ. बीनू मैथ्यू के आवेदन पर भी गौर किया और कहा कि उन्होंने अपने शोध पत्रों की सूची को पहले पन्नों के पेपरों में शामिल नहीं किया। इसलिए न्यूनतम पात्रता मानदंड उसके मामले में मान्य नहीं प्रतीत होता है।

परिषद ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया और सीबीआई रिपोर्ट में दिए गए के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्रथम चरण की सलाह लेने के बाद चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया।

1. डॉ. वी. कृष्ण अनंत, सह प्राध्यापक
2. डॉ. अमिताभ भट्टाचार्य, सह प्राध्यापक
3. डॉ. विजय कुमार थंगेल्लापालि, सह प्राध्यापक

परिषद ने डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, सह प्राध्यापक और डॉ. धनी राज छेत्री, सह प्राध्यापक से स्पष्टीकरण लेने का भी निर्णय लिया।

ईसी 31.4.10: यूजीसी नॉन-नेट फेलोशिप के संबंध में दिनांक 23 जून 2017 को जारी अधिसूचना सं 49/2017 से उत्पन्न परिस्थितियों की जांच के लिए गठित जांच समिति की रिपोर्ट

इस मद पर विचार-विमर्श करने से पहले अध्यक्ष ने डॉ. एस मणिवन्नन को बैठक से दूर रहने हेतु अनुरोध किया।

परिषद को सूचित किया गया कि 1 दिसंबर 2017 को आयोजित 29 वीं बैठक में 21 नवंबर 2017 को यूजीसी गैर-नेट फैलोशिप जारी करने की मांग करते हुए सूसा के नेतृत्व में छात्रों के एक समूह द्वारा किए

गए प्रदर्शन के संबंध में एक विस्तृत नोट की गई थी। छात्रों के एक समूह द्वारा किए गए विरोध के कारण दिनांक 23 जून 2017 को जारी अधिसूचना संख्या: 49/2017 को रद्द कर दिया गया और संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से एम.फिल/पीएचडी छात्रों को यूजीसी नॉन-नेट फेलोशिप की अनुमति दी गई। परिषद ने विश्वविद्यालय को 23 जून 2017 की अधिसूचना जारी करने और उसके बाद की गई कार्रवाई और उक्त अधिसूचना को रद्द करने की ओर उससे उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में पूछताछ करने के लिए एक जाँच समिति गठित करने की सलाह दी।

परिषद को आगे सूचित किया गया कि परिषद के सुझाव के अनुसार कुलपति ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) ए. पी. सुब्बा की अध्यक्षता में प्रो. अभिजीत दत्ता और डॉ. स्वाति अक्षय सचदेवा को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए दिनांक 13 दिसंबर, 2017 को जारी अधिसूचना द्वारा एक जांच समिति का गठन किया। बाद के चरण में दो छात्र सुश्री समीक्षा राई और श्री मिंगमा ओनचेन शेरपा को सूसा के प्रतिनिधियों के रूप में जांच समिति में शामिल किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे विचार के लिए परिषद में रखा गया है। मामले के तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नॉन-नेट फेलोशिप के मानदंडों में संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य केवल किसी अन्य परियोजना में शामिल होने पर फेलोशिप बंद करने के बाद छात्रों द्वारा गैर-नेट फैलोशिप की निरंतरता और पुन: शुरू करने के अनुरोधों से उत्पन्न मामलों के लिए एक नीति दिशानिर्देश तैयार करना था। हालांकि, मामले को छात्र कल्याण डीन और संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) के स्तर पर दिनांक 24 जून 2013 को जारी अनेकार्थक पत्र सं F.87-1-2012 (एसयू) पर निर्भर करते हुए अस्पष्ट रूप से अस्पष्ट तरीके से निपटा गया था । यह विश्वविद्यालय के निर्णय लेने वाले अधिकारियों के भ्रम का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हुई। समिति ने कहा कि अधिकारियों को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी दस्तावेज से संबंधित होने से पहले किसी भी दस्तावेज की प्रामाणिकता, प्रयोज्यता और प्रासंगिकता की पुष्टि करनी चाहिए। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे इस मामले में अनदेखा किया गया है।

परिषद ने विचार-विमर्श के माध्यम से छत्र कल्याण डीन और संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) को चेतावनी पत्र जारी करने का निर्णय लिया है, ताकि एक संवेदनशील मामले के अनौपचारिक तरीके से निपटान में हो गयी उनकी चूक के लिए चेतावनी पत्र जारी करने का निर्णय लिया है,

संकल्प लेने के बाद डॉ. एस. मनिवन्णन को बैठक में पुन: शामिल होने के लिए कहा गया था।

ईसी 31.4.11: विश्वविद्यालय में पदों के लिए लिएन प्रदान करने की नीति

परिषद को सूचित किया गया था जो कि संविधि 26(6) में इस्तीफा देने के लिए स्थायी कर्मचारियों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप से 3 महीने का नोटिस देने या 3 महीने का वेतन देने या अस्थायी कर्मचारियों के लिए 1 महीने के नोटिस या 1 महीने के वेतन के भुगतान करने का प्रावधान है।

परिषद को आगे सूचित किया गया कि जनवरी 2016 से विश्वविद्यालय ने बाहर कहीं चयन होने पर स्थायी कर्मचारियों को उनके पद को लिएन पर बरकरार रखने के लिए उनके निवेदन को स्वीकार करना शुरू कर दिया, वशर्ते कि वे आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेषित किया हो अथवा उनके द्वारा पूर्वानुमति मांगी गयी हो। परिषद को आगे सूचित किया गया था कि अब तक कोई भी लिएन के बाद

विश्वविद्यालय में वापस नहीं आया है। लिएन के दौरान संकाय सदस्यों और कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण विश्वविद्यालय को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और परिषद ने कुलपति को लिएन पर विधियों और नियमों का अध्ययन करने और विस्तृत दिशानिर्देश बनाने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए अधिकृत किया।

खंड – 5
प्राधिकरणों/समितियों का कार्यवृत्त

ईसी 31.5.1: ***दिनांक 12 जून 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त***

दिनांक 12 जून 2018 को आयोजित शैक्षणीक परिषद की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया गया। परिषद ने निम्नलिखित विषयों पर विशेष अनुमोदन प्रदान किया :

i. गैर-हिन्दी भाषी के लिए हिन्दी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (6 महीने) का प्रारम्भ
ii. हिन्दी में बीए पाठ्यक्रम का प्रारम्भ
iii. उद्यानिकी विभाग में सत्र 2019-20 से बीएससी पाठ्यक्रम को बंद करना

परिषद ने निम्नलिखितों के संदर्भ में शैक्षणिक परिषद की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया :

iv. सिक्किम विश्वविद्यालय नर्सिंग महविद्यालय, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम को अस्थायी संबद्धता
v. सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय, रूमटेक, ईस्ट सिक्किम को अस्थायी संबद्धता
vi. डंबर सिंह कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता।

कुलपति के विवेकानुसार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की संतानों के लिए यूजी और पीजी कार्यक्रम में एक अधिसंख्यक सीट प्रदान करने को बंद करने का निर्णय को नए कुलपति के कार्यग्रहण होने तक स्थगित कर दिया गया था।

ईसी 31.5.2: ***दिनांक 1 जून 2018 को आयोजित भवन समिति की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त***

दिनांक 1 जून 2018 को आयोजित भवन समिति की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त को परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। विशेष अनुमोदन निम्नलिखित के लिए दिया गया है :

एमएचआरडी/यूजीसी से पैकेज- I चरण- I के लिए पीएमसी के रूप में मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड का नियमितीकरण और जीएफआर -2017 के अनुसार अन्य पैकेजों के लिए पीएमसी का चयन।

सूचीबद्ध विषय

ईसी 31.5.3: दिनांक 15 जून 2018 को आयोजित वित्त समिति की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

15 जून 2018 को आयोजित वित्त समिति की 19 वीं बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी दी गई। वार्षिक लेखा 2017-18 के लिए विशिष्ट स्वीकृति दी गई थी।

खंड -6

अध्यक्ष की ओर से विषय

ईसी 31.5.3: अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि उन्हें 26 जून 2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, मानव संसाधन विभाग, सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें सिक्किम गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, सोरेंग के बैच 2015-17 और 2016-18 के बी.एड छात्रों के परीक्षा परिणामों की घोषणा करने हेतु निवेदन किया गया था। परिषद को सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा इन बैचों के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं क्योंकि सिक्किम गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, सोरेंग में बी.एड की सीटों में 100 से 150 तक वृद्धि को नियमित करने के लिए एनसीटीई से 2015-17 और 2016-17 के बैच लंबित हैं ।

इस संबंध में कानूनी राय मांगी गई थी जिसे परिषद में पढ़ा गया था। परिषद हालांकि, कानूनी सलाह के साथ व्यापक रूप से सहमत है, फिर भी परिणाम के घोषणा के साथ सहमत नहीं है क्योंकि परिणाम एक बार प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद परीक्षा परिणाम अस्थायी नहीं रह सकता है।

परिषद ने छात्रों के भविष्य के साथ-साथ कानूनी पक्ष पर विचार-विमर्श किया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मामले को मतदान के लिए रखा गया। आठ सदस्यों ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परिणामों की घोषणा के पक्ष में मतदान किया। चूँकि उपस्थित सदस्यों में से अधिकांश ने परिणामों की घोषणा के पक्ष में मतदान किया, इसलिए छात्रों के हित में 2015-17 और 2017-18 के बीएड छात्रों के परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव
कार्यकारिणी परिषद

हस्ता /-
(प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग)
कुलपति एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी परिषद